274 लोगों का रेस्क्यू, उत्तरकाशी पहुंचाया

▶ उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद सुमन ने दी जानकारी

देहरादून, 7 अगस्त. उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद सुमन ने गुरुवार को बताया कि करीब एक बजे तक 274 लोगों को गंगोत्री एवं अन्य क्षेत्रों से हर्षिल लाया गया है, सभी सुरक्षित हैं. सुमन ने बताया कि सुरक्षित लाये गये 274 लोगों में से गुजरात के 131, महाराष्ट्र के 123, मध्य प्रदेश के 21, उत्तर प्रदेश के 12, राजस्थान के छह, दिल्ली के सात, असम और कर्नाटक के पांच-पांच, तेलंगाना के तीन तथा पंजाब के एक व्यक्ति है. उन्होंने बताया कि ये सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं. इनको उत्तरकाशी और देहरादून लाया जा रहा है. इसके अतिरिक्त, वर्तमान तक 135 लोगों को सुरक्षित हर्षिल से बाहर निकाला गया, जिसमें से 100 लोगों को उत्तरकाशी पहुंचाया गया है. 35 लोगों को देहरादून सुरक्षित भेजा गया है. उन्होंने बताया कि इस प्रकार कुल 135 लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाया जा चुका है और 274 लोगों को हर्षिल में सुरक्षित रखते हुए आगे की यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा है. बता दें उत्तरकाशी जिले में बादल फटने से धराली गांव में भारी तबाही हुई थी. बचाव दलों ने दो शव बरामद किए और कई को सुरक्षित बाहर निकाला.

> उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने से धराली गांव में भारी तबाही हुई है. बुधवार को बचाव दलों ने दो शव बरामद किए और 190 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. इस घटना के बाद, मलबे में फंसे लोगों को लेकर चिंता बढ़ गई है. सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और बाकी टीमें बिना रुके, बिना थके जी-जान से रेस्क्यू में लगी है, .

केजरीवाल को पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति

सुलतानपुर, 7 अगस्त. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुलतानपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट से राहत मिली है.

कोर्ट ने उन्हें सशर्त अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण करने की अनुमति दी है. आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि सुलतानपुर न्यायालय के न्यायाधीश शुभम वर्मा ने गुरुवार को देर शाम यह भी निर्देश दिया है कि केजरीवाल बिना किसी सूचना के देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकेंगे. यह मामला 2014 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है. उस समय केजरीवाल अमेठी में आप प्रत्याशी कुमार विश्वास का चुनाव प्रचार करने आए थे. इसी दौरान अमेठी जिले के गौरीगंज और मुसाफिरखाना थाने में उनके खिलाफ दो मुकदमे दर्ज किए गए थे. इन मामलों की सुनवाई सुल्तानपुर के जिला न्यायालय के एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है. केजरीवाल के अधिवक्ता रूद्र प्रताप सिंह मदन ने बताया केजरीवाल इन मामलों में जमानत पर हैं.

कार्यालय पुलिस उपायुक्त मुख्यालय, इंदौर

क्र.-पुलिस उपायुक्त/इं./मु./आर.के./337/25 दिनांक .../08/2025

निविदा सूचना

पुलिस आयुक्त कार्यालय इन्दौर द्वारा आने वाले कार्यालयों एवं थानों की आवश्यकतानुसार All in One Computer, Desktop Computer, Digital Mutifunction Laser Printer 4 in1, Digital Mutifunction Laser Printer 3 in1, Digital Mutifunction Coloure Printer, Photocopy Machine, Scanner, Key Board, Mouse, Paper Shredder, UPS क्रय करने के संबंध में खुली निविदा https://mptenders.gov.in पोर्टल पर जारी की जा रही है, निविदा की समय अवधि निम्नानुसार है :-

सं.क्र.	निविदा विवरण	दिनांक	समय	रिमार्क
1.	निविदा जारी होने की दिनांक	08.08.2025	सुबह 10.00 बजे से	
2.	प्री बीड मीटिंग	18.08.2025	दोप. 04.00 बजे	
3.	निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक	27.08.2025	शाम 05.00 बजे तक	
4.	निविदा खोले जाने की दिनांक	28.08.2025	शाम 05.00 बजे	

(प्रकाश परिहार) भापुसे
पुलिस उपायुक्त (मुख्या.)
नगरीय, इंदौर

जी -16838/25

भाड़े के सैनिक यूक्रेन में रूसी सैनिकों के साथ लड़ रहे

कीव, 7 अगस्त. यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के भाड़े के सैनिक उत्तर-पूर्वी यूक्रेन के वोवचांस्क क्षेत्र में रूसी सैनिकों के साथ लड़ रहे हैं. यूक्रेनी राष्ट्रपति ने एक्स पर कहा मैं वोवचांस्क में हमारे देश की रक्षा करने वालों के साथ था. हमने कमांडरों से अग्रिम मोर्चे की स्थिति, वोवचांस्क की रक्षा और युद्ध की गतिशीलता के बारे में बात की. हमने ड्रोन की आपूर्ति और तैनाती, भर्ती और ब्रिगेड के लिए प्रत्यक्ष वित्तपोषण के मुद्दों पर भी विशेष रूप से चर्चा की. इस क्षेत्र में हमारे योद्धा युद्ध में चीन, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अफ्रीकी देशों के भाड़े के सैनिकों की भागीदारी की रिपोर्ट कर रहे हैं.

TATA टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल मुंबई - 400013. CIN No. U67190MH2008PLC187552. Contact No. (022) 61827414, (022) 61827375
शाखा कार्यालय : 9/1/1, सुरज भवन, दूसरी मंजिल, यस बैंक के उपर, एम.जी. रोड़, इन्दौर -452001.

आधिपत्य सूचना (अचल संपत्तियों के लिये)
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के परिशिष्ठ IV सपठित नियम 8(1) के अंतर्गत)

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) सपठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न ऋणी(यों) से नीचे उल्लेखित सूचना प्राप्ति दिनांक से 60 दिन के अंदर ऋण राशि अदा करने की मांग की गई थी।
ऋणी (यों) द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, ऋणी (यों) को विशेष रूप से आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे ऋणी (यों) ने **अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रतलाम** द्वारा नीचे उल्लेखित सी.सी. नंबर में पारित आदेश के मद्देनजर न्यायालय आयुक्त/तहसीलदार के माध्यम से यहां वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है और उक्त तहसीलदार ने नीचे हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी को **भौतिक कब्जा** सौंप दिया है।
ऋणी(यों) को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि इन सम्पत्तियों के संबंध में कोई संव्यवहार न करें और यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के ऋणी(यों) के समक्ष नीचे दर्शाई गई मांग सूचना दिनांक से ब्याज एवं दण्ड ब्याज, खर्चे, लागत अन्य के अधीन होगा।
ऋणकर्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्रं.	ऋण खाता क्रं.	बाध्यताधारीयों /कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों के नाम	मांग सूचना अनुसार राशि	मांग सूचना दि. / कब्जा दिनांक	आदेश दिनांक / केस नं.
1	TCHHL0643000 100230792 & TCHHF0643000 100230823 & TCHIN06430001 00236394	श्री प्रयास कटारिया (ऋणी) श्रीमती टीना कटारिया (सह-ऋणी)	Rs.9,48,948/- & Rs.6,72,580/- & Rs.53,517/-	22-11-2024 / 05-08-2025	11-07-2025 / Case No.93/ B-121/2025-26

सुरक्षित परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों का विवरण: अचल संपत्ति के संपूर्ण भाग एवं अंश, प्लॉट क्रमांक 89 का उत्तरी भाग, सर्वे क्रमांक 590 और 591 की डायवर्टेड भूमि पर, संत नगर, रतलाम, तहसील और जिला रतलाम (म.प्र.) माप क्षेत्र 398.56 वर्ग फीट, (अर्थात 37.19 वर्ग मीटर) **चर्तुसीमाएँ:** उत्तर: प्लॉट क्रमांक 90, दक्षिण: उक्त प्लॉट क्रमांक 89 का शेष भाग, पूर्व: सीमा दीवार, पश्चिम: कॉलोनी की सड़क

दिनांक : 05-08-2025 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : रतलाम (म.प्र.) वास्ते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

क्षेत्रीय कार्यालय: प्लाट नं. 160-161, पीयू-4, सी-21 माल के पीछे, स्कीम नं. 54, ए.बी. रोड, इन्दौर

आधिपत्य की जाहिर सूचना (अचल/चल संपत्ति बाबत्)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके निम्न ऋणगृहिताओं से मांग सूचना की दिनांक से **60** दिन की समयावधि में ऋण राशि अदा करने की अपेक्षा की गई थी। चूंकि ऋणगृहिताओं ने अदायगी में त्रुटी की है अत: ऋणगृहिताओं एवं जमानतदारों तथा सर्वसाधारण जनता को एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित उपरोक्त नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत दिनांक को प्राप्त कर लिया है ऋणगृहिताओं को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि इस सम्पत्ति के संबंध में कोई संव्यवहार न करें यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** के ऋणगृहिताओं के समक्ष वर्णित राशि एवं ब्याज के चार्ज (प्रभार)के अधीन होगा।

अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के अनुसार बंधक संपत्ति को मुक्त करने के बारे में उपलब्ध समय के संबंध में ऋणियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

क्रं.	शाखा का नाम	ऋणियों/जमानतदारों के नाम	मांग सूचना दिनांक / धारण दिनांक	अचल संपत्तियों का विवरण	₹ बकाया राशि
1	खण्डवा शाखा	श्री अरुण कुमार पाठक (ऋणी) एवं श्रीमती शारदा बाई पाठक (सह-ऋणी - मृत्यु के बाद से) उनके कानूनी उत्तराधिकारी - 1. श्री अरुण पाठक 2. श्रीमती सरला पाठक 3. श्रीमती उर्मिला पाण्डे 4. श्री सरोज मिश्रा 5. श्रीमती किरन पाण्डे 6. सुश्री मनिषा चर्तुवेदी 7. सुश्री प्रियंका वाजपेयी	15.05.25 / 06.08.25	ब्लॉक नं. 67, प्लाट नं. 6, वार्ड नं. 36, मकान नं. 154/4, लालबाग, जिला बुरहानपुर (म.प्र.) पर स्थित रहवासी संपत्ति के प्लाट का साम्यिक बंधक, **मालिक: श्रीमती शारदा बाई पाठक पति श्री मनोहरलाल पाठक, क्षेत्रफल: 51.746 वर्गमीटर, चर्तु:सीमा: उत्तर:** 2 फीट कॉमन भूमि, **दक्षिण:** प्लाट नं. 6 का शेष भाग उसके बाद नुरजहा फिरोज की संपत्ति, **पूर्व:** गली सड़क, **पश्चिम:** उदय अभयंकर की खोली (मकान)	12,52,849.62 + ब्याज एवं अन्य खर्चे - वसूली, अगर कोई

स्थान: इन्दौर, दिनांक: 08.08.2025 प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

कब्जा नोटिस

जबकि, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13 (2) के साथ नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ता/सह-उधारकताओं को **मांग नोटिस** जारी किए हैं, जिसमें उधारकताओं से अनुरोध किया गया है कि वे संबंधित नामों के समक्ष उल्लिखित राशि को, उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से **60 दिनों** के भीतर, उक्त नोटिस में उल्लिखित लागू दरों पर ब्याज सहित, और भुगतान और/या वसूली की तिथि तक किए गए भावी आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित चुका दें।

क्र. सं.	ऋण संख्या	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ गारंटर/बंधककर्ता	13(2) नोटिस दिनांक/ बकाया राशि (रुपये में)	दिनांक/समय और कब्जे का प्रकार
1	45539630000013	1) श्री संदीप, पुत्र हीरालाल, 2) श्रीमती जीवन धमने, पत्नी संदीप	12.05.2025 ₹ 7,83,923.52 (रुपये सात लाख तेरासी हजार नौ सौ तेईस बावन पैसे मात्र) 04.05.2025 तक	दिनांक: 05.08.2025 समय: दोपहर 12.25 बजे प्रतीकात्मक कब्जा
	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण: मकान संख्या 02 वाली भूमि का वह पूरा टुकड़ा, जिसका कुल क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट (55.76 वर्ग मीटर) है, और उस पर आर.सी.सी. निर्माण सहित, गली संख्या 02, शिव पार्वती नगर, समता नगर, वार्ड संख्या 75, जोन संख्या 19, नगर निगम इंदौर, तहसील एवं जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। चारों ओर से घिरा: पूर्व में मकान, पश्चिम में मकान, उत्तर में मकान और दक्षिण में सड़क।			
2	45529420002141 और 45529410001862	1) श्री मोहम्मद अमीन, पुत्र नाम, 2) श्रीमती हिना खान बी, पत्नी मोहम्मद अमीन	12.05.2025 ₹17,29,299.97 (केवल सत्रह लाख उनतीस हजार दो सौ निन्यानवे सन्तानवे पैसे मात्र) 04.05.2025 तक	दिनांक: 05.08.2025 समय: दोपहर 12.50 बजे प्रतीकात्मक कब्जा
	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण: आवासीय सहित सभी आर.सी.सी. सुपर स्ट्रक्चर फ्लैट संख्या 202, द्वितीय तल पर, जिसका सुपर बिल्ट-अप क्षेत्रफल 860 वर्ग फुट (79.92 वर्ग मीटर) है, "स्टार एवेन्यू" नामक बहुमंजिला इमारत में, ब्लॉक-बी, सर्वेक्षण संख्या 270/2 (नया सर्वेक्षण संख्या 270/2/2), ग्राम मुंडला नयाता, तहसील और जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) की भूमि पर निर्मित है। सीमा: पूर्व में: फ्लैट संख्या 201, पश्चिम में: खुली जगह, फिर फ्लैट संख्या 203, उत्तर में: खुली जगह, फिर ब्लॉक-ए और दक्षिण में: सामान्य मार्ग, फिर खुली जगह।			
3	30789630000016 और 30789630000055	1) श्री हेमंत, पुत्र कैलाशचंद्र 2) श्रीमती आरती पत्नी हेमंत	22.05.2025 ₹ 15,48,199.20 (पंद्रह लाख अड़तालीस हजार एक सौ निन्यानवे और बीस पैसे मात्र) 15.05.2025 तक	दिनांक: 05.08.2025 समय: दोपहर 01.50 बजे प्रतीकात्मक कब्जा
	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण: मकान वाली जमीन का वह पूरा टुकड़ा संख्या 208, कुल क्षेत्रफल 525 वर्ग फुट (48.97 वर्ग मीटर), निर्माण सहित, पुलिस चौकी संख्या 79, ग्राम कम्पेल में स्थित, ग्राम पंचायत कम्पेल, तहसील और जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर। पूर्व में आम सड़क, पश्चिम में बाबूलाल पटेल का मकान, उत्तर में मोहन पटेल का मकान और दक्षिण में पूनमचंद्र बागवान का मकान।			
4	45579430000043	1) श्री अंकित गुप्ता, पुत्र दिनेश गुप्ता, 2) श्रीमती निधि गुप्ता, पत्नी अंकित गुप्ता, 3) श्री दिनेश गुप्ता, पुत्र रामचंद्र	21.05.2025 ₹ 21,04,411.60 (रूपये इक्कीस लाख चार हजार चार सौ ग्यारह साठ पैसे मात्र) 15.05.2025 तक	दिनांक: 05.08.2025 समय: दोपहर 03.00 बजे प्रतीकात्मक कब्जा
	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण: ग्राम पंचायत भवन संख्या 524 वाली भूमि का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट (83.61 वर्ग मीटर) है, उस पर निर्माण सहित, पी.एच. ग्राम पंचायत ताजपुर, तहसील एवं जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के अंतर्गत, ग्राम ताजपुर में स्थित, भवन क्रमांक 47। पूर्व में आम सड़क, पश्चिम में आम सड़क, उत्तर में भेरूलाल पाटीदार का मकान और दक्षिण में मुकेश गुप्ता का मकान।			

चूँकि यहाँ ऊपर उल्लिखित ऋणी/सह-ऋणी/गारंटर/बंधककर्ता देय राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, अतः यहाँ विशेष रूप से ऋणी और आम जनता को सूचित किया जाता है कि जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त वर्णित संपत्तियों/ सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त तिथियों को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित, ले लिया है। यहाँ विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित ऋणी/सह-ऋणी/गारंटर/बंधककर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा आगाह किया जाता है कि वे उपरोक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथ लेन-देन न करें और उक्त संपत्तियों/ सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथ कोई भी लेन-देन जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

स्थानः इन्दौर | एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी,
दिनांकः 08.08.2025 | जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के लिए

JANA SMALL FINANCE BANK (A Scheduled Commercial Bank)
पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वेक्षण क्रमांक 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, डोम्लुर के पास, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लाघट्टा, बेंगलुरु-560071। शाखा कार्यालयः प्लॉट क्रमांक 306-ए, पीयू 4, स्कीम संख्या 54, कंट्री इन होटल के पास, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर, इंदौर-452010।

आज का इतिहास

1509 - विजय नगर सम्राज्य के सम्राट के रूप में महाराज कृष्णदेव राय की ताजपोशी।
1549 - फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा
1609 - वेनिस की सीनेट ने गैलिलियो द्वारा तैयार दूरबीन का निरीक्षण
1763 - वर्षों के संघर्ष के बाद अंततः कनाडा फ्रांस के अधिकार से स्वतंत्र हुआ।
1864 - जिनेवा में रेड क्रॉस की स्थापना।
1876 - थॉमस अल्वा एडिसन ने मिमियोग्राफ का पेटेंट कराया।
1899 - ए.टी. मार्शल ने रेफ्रीजरेटर का पेटेंट कराया।
1900 - बोस्टन में पहली डेविस कप श्रृंखला की शुरूआत।
1908 - शास्त्रीय संगीत गायिका सिद्धेश्वरी देवी का जन्म।
1919 - ब्रिटेन ने अफगानिस्तान की आजादी को मंजूरी दी।

यूनाइटेड एयरलाइंस की उड़ानें फिर से शुरू

न्यूयॉर्क, 7 अगस्त. अमेरिकी विमानन कंपनी यूनाइटेड एयरलाइंस ने बुधवार देर रात अपनी उड़ानें फिर से शुरू कर दीं. इससे कुछ घंटे पहले कंप्यूटर सिस्टम में तकनीकी खराबी आने के कारण कंपनी को पूरे देश में उड़ानें रोकनी पड़ी थीं. एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि आंतरिक प्रौद्योगिकी समस्या का समाधान कर लिया गया है यद्यपि हमें कुछ विलम्ब की आशंका है, लेकिन फिर भी हमारी टीम सामान्य परिचालन बहाल करने की दिशा में काम कर रही है. एयरलाइन ने आगे कहा कि यह समस्या उस सिस्टम से जुड़ी हुई है जिसमें हर उड़ान की जानकारी होती है जिसे बाद में दूसरे सिस्टम में डाला जाता है. जिनमें वज़न एवं संतुलन की गणना और उड़ान के समय को ट्रैक करने वाले सिस्टम भी शामिल हैं. हालांकि एयरलाइन ने यह नहीं बताया कि इस गड़बड़ी का कारण क्या था.

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर
विद्युत विभाग
E-mail: imcvidhyutvibhag@gmail.com

विज्ञप्ति क्र.: 15/25-26/ ई टेंडर C.E/E&M **निविदा सूचना** दिनांक: 07/08/2025

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों/ फर्मों से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेंडर क्र. जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं ई.एम.डी.	निविदा की अंतिम तिथि
1	2025-UAD-442916 07-08-2025	झोन क्र. 05 वार्ड क्र. 23 के अंतर्गत सुभाष नगर चौराहे से परदेशीपुरा तुलसी कॉम्पलेक्स के सामने तक सेन्ट्रल लाईट के संधारण संबंधी कार्य। (द्वितीय आमंत्रण)	1 माह ₹5,49,678/-	₹2,000/- ₹5,500/-	14.08.2025 5:30 PM
2	2025-UAD-442927 07-08-2025	झोन क्र. 05 वार्ड क्र. 23 के अंतर्गत अपंगबाल गृह उद्यान में वृद्धाश्रम उद्यान में अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था करने संबंधी कार्य। (द्वितीय आमंत्रण)	1 माह ₹6,00,221/-	₹2,000/- ₹6,010/-	14.08.2025 5:30 PM
3	2025-UAD-442950 07-08-2025	झोन क्र. 10 वार्ड क्र. 42 के अंतर्गत पालीवाल नगर स्थित मंदिर के पीछे उद्यान में प्रकाश व्यवस्था करने संबंधी कार्य। (चतुर्थ आमंत्रण)	1 माह ₹5,81,614/-	₹2,000/- ₹5,900/-	14.08.2025 5:30 PM
4	2025-UAD-442955 07-08-2025	झोन क्र. 07 वार्ड क्र. 34 के अंतर्गत पिंकसिटी उद्यान में आकर्षक लाईट लगाकर प्रकाश व्यवस्था करने संबंधी कार्य। (चतुर्थ आमंत्रण)	2 माह ₹6,85,812/-	₹2,000/- ₹6,900/-	14.08.2025 5:30 PM

निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन https://mptenders.gov.in/ की वेबसाइट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

प्रतिबंधित पॉलिथीन, कैरीबैग के निर्माण/ विक्रय/ उपयोग करने पर दंड व सजा का प्रावधान है।

नगर शिल्पज्ञ
नगर पालिक निगम, इन्दौर

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India — ई-नीलामी की सूचना

क्षेत्रीय कार्यालय: प्लाट नं. 160-161, पीयू-4, सी-21 माल के पीछे, स्कीम नं. 54, ए.बी. रोड, इन्दौर

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रुप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभावित है, का भौतिक कब्जा प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है** के आधार पर निम्न ऋणियों से **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर** से प्रतिभूति लेनदार की निम्न वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा दिनांक **20.09.2025** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि निम्नलिखित है।

क्रं.	ऋणी, जमानतदार एवं शाखा का नामएवं मोबाईल नं.	बंधक संपत्तियों का विवरण	मांग पत्र दिनांक / बकाया राशि (₹)	आरक्षित मूल्य (₹) / धरोहर राशि (₹) / बिड वृद्धि राशि (₹)
1.	मेसर्स हवेली द हिल टॉप रेस्टोरेंट, प्रो.: मानसा राय लेखी शाखा: संयोगितागंज शाखा, इन्दौर मोबाईल: 83700 12062	दुकान नं. युजी-2, केसर कॉम्पलेक्स, ऊपरी तल मंजिल, महू-नीचम रोड, पीथमपुर (म.प्र.), **क्षेत्रफल: 310 वर्गफीट, मालिक: श्री राजेश लेखी पिता मंगल राम लेखी, श्रीमती सविता लेखी पति राजेश लेखी, चर्तु:सीमा: पूर्व:** फ्लेट नं. युजी-1, **पश्चिम:** फ्लेट नं. युजी-3, **उत्तर:** फ्लेट नं. युजी-21, **दक्षिण:** कॉमन पेसेज	23.01.2023 / 33,08,423.14 + ब्याज एवं अन्य खर्च - उसके बाद की गई रिकवरी	14,89,000 / 1,49,000 / 50,000

(ऑनलाईन) ई-नीलामी दिनांक: 20.09.2025 , समय: प्रात: 10 से सायं 6 बजे तक
दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम दिनांक 18.09.2025 एवं ईएमडी जमा करने की अंतिम दिनांक व समय : 19.09.2025, रात 11 बजे तक,
ईएमडी को छोड़कर शेष बोली की राशि जमा करने के लिए बैंक खाते का विवरण: अकाउंट नं. : 3283786076,
खाते का नाम: प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर, IFSC CODE: CBIN0280765

बिक्री की विस्तृत शर्तो और नियमों के लिए, कृपया **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट यानी **www.centralbank.co.in** और सेवा प्रदाता की वेबसाइट **https://baanknet.com** देखें। **क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर 95222 73419** से संपर्क कर सकते है।

सिक्यूरीटाईजेशन एक्ट 2002 के अंतर्गत विक्रय हेतु 30 दिवसीय वैधानिक सूचना

स्थान: इन्दौर, दिनांक: 08.08.2025 प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

यूको बैंक UCO BANK
(A Government of India Undertaking)

आंचलिक कार्यालय, 380-381, साकेत नगर, इंदौर (म.प्र.)
फोन: 0731-2438331, 2438305, 9425486446,
फैक्स: 2438304, email: zo.indore@ucobank.co.in

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी सूचना
ई-नीलामी दिनांक 26.08.2025

(सरफेसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत)
सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल इंटरेस्ट एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट नियम 2002 के अन्तर्गत
सम्पत्ति के विक्रय की सार्वजनिक सूचना ईएमडी एवं दस्तावेज जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 25.08.2025 को सायंकाल 4 बजे तक या उसके पूर्व अचल सम्पत्ति की बिक्री जो बैंक के पास बंधक है
सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल इंटरेस्ट एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट नियम 2002

जबकि **यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी** द्वारा धारा 13 (2) व सिक्युरिटायजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल इंटरेस्ट एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट नियम 2002 के अन्तर्गत सांकेतिक/भौतिक कब्जा ले लिया है। बैंक कि बकाया राशि ब्याज सहित हेतु निम्न सम्पत्तियों को **जहाँ है जैसी है, जैसी है वैसी है, जो कुछ भी है, बिना संसाधन** के आधार पर विक्रय करने का निर्णय लिया गया है। ऋणी द्वारा बैंक का बकाया मय ब्याज के चूकाने मे असफल होने के कारण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सरफेसी अधिनियम 13 (4) के अन्तर्गत सम्पत्ति की ई-नीलामी वेबसाइट द्वारा की जानी है।

क्रं.	शाखा	ऋणियों के नाम	ऋणी के खाते में बकाया राशि (₹)	सूचना दिनांक एवं आधिपत्य दिनांक	स्वायत शासी संस्थाओं का बकाया	संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य यथा / बयाना राशि	ईएमडी खाता क्रं., शाखा एवं आईएफएससी कोड क्रं.	ई-नीलामी की दिनांक एवं समय
1.	खण्डवा शाखा	श्री अनिल पांडुरंग शिंदे, श्रीमती भारती किशोर शिंदे	17,39,000 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	31.05.23 / 24.08.23	पता नहीं	सपंत्ति के सभी प्रमुख अंग खसरा नं. 400/3, शीट नं. 11, पुराना प्लाट नं. 141/17, रामलाल नमस्ते मार्ग, कुण्डलेश्वर वार्ड नं. 24, खण्डवा, **क्षेत्रफल: 546 वर्गफीट, मालिक: श्री अनिल शिंदे पिता पांडुरंग शिंदे एवं श्रीमती भारती शिंदे पिता किशोर शिंदे,** वाईड रजिस्टर्ड ई-सेल डीड दिनांक 28.03.2016 डीड नं. MP219262016A1185523, सब रजिस्टर्ड खण्डवा (म.प्र.), **चर्तु:सीमा: उत्तर:** 10 फीट चौड़ी सड़क, **दक्षिण:** सड़क, **पूर्व:** पांडुरंग मराठा का मकान, **पश्चिम:** सदीशचंद्र डोंगरे का मकान	रु. 22.95 लाख / रु. 2,29,500	22830210001462 आनंद बाजार, इंदौर UCBA0002283	26.08.2025 1.00 से 5.00 बजे तक (असीमित विस्तार के साथ उपरोक्तानुसार)
2.	महू शाखा	मेसर्स श्री मुकाम्बिका मोबाईल, प्रो.: श्री लोकेश वर्मा पिता मदनलाल वर्मा जमानतदार: 1. श्रीमती निर्मला पति श्री लोकेश वर्मा, 2. श्रीमती मांगीबाई पति श्री मदनलाल	49,43,650.23 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	25.11.24 / 05.04.25	पता नहीं	प्लाट नं. 384, भोजपुरी कॉलोनी एनएक्स का ईएम, ग्राम काली बिल्लोद, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.), **क्षेत्रफल: 525 वर्गफीट, मालिक: निर्मला वर्मा पति लोकेश वर्मा** के पास पंजीकृत बिक्री विलेख दिनांक 11.01.2013 डीड नं. 1ए/1696 उप रजिस्ट्रार कार्यालय महू, जिला इन्दौर (म.प्र.) 453441 में पंजीकृत है। **चर्तु:सीमा: उत्तर:** प्लाट नं. 385, **दक्षिण:** प्लाट नं. 383, **पूर्व:** कॉलोनी रोड, **पश्चिम:** प्लाट नं. 380	रु. 7.35 लाख / रु. 73,500	22830210001462 आनंद बाजार, इंदौर UCBA0002283	26.08.2025 1.00 से 5.00 बजे तक (असीमित विस्तार के साथ उपरोक्तानुसार)
3.	एमटीक्लॉथ मार्केट शाखा, इन्दौर	1. श्री संजय लालवानी पिता सुरेश लालवानी, 2. श्री सुरेश लालवानी पिता कुंदुमल लालवानी, 3. श्रीमती आशा लालवानी पति सुरेश लालवानी	23,75,648 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	30.08.24 / 08.11.24	पता नहीं	फ्लेट नं. 202, घरोन्दा अपार्टमेंट, गुरुनानक कॉलोनी, इन्दौर, **सुपर बिल्टअप क्षेत्रफल: 894 वर्गफीट,** फ्लेट नं. 202, घरोन्दा अपार्टमेंट, गुरुनानक कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.) पर स्थित, **चर्तु:सीमा: उत्तर:** प्लाट नं. 1, **दक्षिण:** फ्लेट नं. 201, **पूर्व:** कॉमन पेसेज, **पश्चिम:** सड़क	रु. 32.35 लाख / रु. 3,23,500	22830210001462 आनंद बाजार, इंदौर UCBA0002283	26.08.2025 1.00 से 5.00 बजे तक (असीमित विस्तार के साथ उपरोक्तानुसार)

आनलाईन निविदा/नीलामी की नियम व शर्तें: (1) बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट **https://baanknet.com** देखें (बोली जमा करने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए और ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए भी)। (2) इच्छुक बोलीदाता के पास एक स्वयं की वैध सक्रिय ई-मेल आईडी और पैन होना चाहिए। (3) अपसेट प्राईस/रिजर्व प्राईस की 10% (ईएमडी राशि) राशि सर्विस प्रोवाइडर द्वारा बनाये गये वर्चुअल वॉलेट में भेजी जाना चाहिये और बकाया राशि निविदा फार्म मे स्पष्ट रुप से दर्शाई जाना चाहिए। (4) अधोहस्ताक्षरी के पास पूर्ण अधिकार है की वह बिना किसी पूर्व सूचना के एवं बिना कोई कारण बताएं किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या स्थगित/रद्द करने का बिक्री की किसी भी नियम व शर्तों को बढ़ाने/संशोधित करने का अधिकार है। (5) बिक्री सरफेसी संशोधित अधिनियम/नियम 2002 और शर्तों में निर्धारित शर्तों के अधीन है। (6) बैंक द्वारा निविदा प्रस्ताव स्वीकार्य करने के उपरांत 25% प्रतिशत राशि (प्राथमिक राशि ईमएडी सहित) उसी दिन या अगले कार्यदिवस तक बैंक के **खाता संख्या 22830210001462, यूको बैंक, आनंद बाज़ार शाखा, आईएफएससी कोड UCBA0002283** के खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी/मनी ट्रांन्सफर द्वारा जमा करनी होगी। (7) सफल बोलीकर्ता को अपने पक्ष में बिक्री की पुष्टि होने के 15 दिनो के भीतर बिड की बकाया राशि जमा कराना होगी यदि सफल बोलीकर्ता अपनी बकाया राशि उस अवधि के भीतर जमा करने में विफल होता है तो उस परिस्थिति में सम्पत्ति का पून: विक्रय किया जावेगा। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा कि गई राशि जब्त कर ली जावेगी। इसके अतिरिक्त उसे सम्पत्ति पर या उस सम्पत्ति पर दावा करने का कोई अधिकार नही होगा जिसे फिर से बेची गई है। (8) सम्पत्ति का निरीक्षण पूर्व अनुमति लेकर **दिनांक 23.08.2025 को प्रात: 10.00 बजे से सांयकाल 4.00 बजे** के बीच किया जा सकता है। सम्पत्ति सम्बन्धी अन्य जानकारी या विवरण के लिए **प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक, आंचलिक कार्यालय, इन्दौर, फोन नं.: 0731-2438331, 2438305** से संपर्क किया जा सकता है। (9) यदि बिक्री 30 (तीस) दीनों की अवधि के लिये स्थगित की जाती है तो बिक्री की कोई नई शर्ते नहीं होगी। (10) बोलीकर्ता को नीलामी में भाग लेने के पूर्व सेवा प्रदाता के पोर्टल/वेबसाइट (अर्थात, **https://baanknet.com**) पर जाने की सलाह दी जाती है। नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व सभी बोलीकर्ताओं को बिक्री के नियम व शर्तों को ठीक तरह से पढ़ने व समझने की सलाह दी जाती है। नीलामी सुरक्षित लेनदार बैंक की पुष्टि के अधिन है। विवाद की स्थिति में अंग्रेजी शब्द में लिखित अखबार को मान्य किया जायेगा।

स्थान : इन्दौर, दिनांक : 08.08.2025 **प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक**